

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:-

राजस्व वाद संख्या :-

जी.सी.एम.एस. नम्बर :-

वादी

अशोक कुमार,आर.ए.एस.

135/2022

2022/430

बनाम

प्रतिवादी

महेन्द्र राजपुरोहित पुत्र रघुनाथसिंह
जाति राजपुरोहित निवासी अराबा दूदावता
तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील कल्याणपुर

- 1.देवीसिंह पुत्र भंवरसिंह
- 2.मोहनसिंह पुत्र भंवरसिंह
- 3.पुखराजसिंह पुत्र हिम्मतसिंह
जाति राजपुरोहित निवासी अराबा
दूदावता तहसील पचपदरा वर्तमान
तहसील कल्याणपुर
- 4.गोमती पुत्री भंवरसिंह
जाति राजपुरोहित निवासी किशनासर
दक्षिण तहसील नोखा जिला बीकानेर
- 5.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
कल्याणपुर


राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53.188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थिति

- 1.श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता वादी
- 2.प्रतिवादी एकतरफा।

निर्णय

दिनांक- 28.01.2026

संक्षिप्त में वाद-पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि सरहद मौजा आसराबा दूदावतान तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 204 भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 24.7.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार कल्याणपुर को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। वादी अधिवक्ता ने माफिक विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अंतिम डिक्री जारी करने की सहमति दी गई,जो बाद सुनवाई विभाजन प्रस्ताव मुताबिक वाद डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।


सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा



लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा आसराबा दूदावतान तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 204 भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

कं. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल (हेक्ट.)	किस्म	लगान	वरंग
1	महेन्द्र राजपुरोहित पुत्र रघुनाथसिंह हिस्सा पूर्ण जाति राजपुरोहित सा. देह खातेदार	आसराबा दूदावतान	204	0.0407	वा.अ.	0.06	नक्शे में दर्शितनुसार
2	गोमति पुत्री भंवरसिंह हिस्सा 211783/615000 देवीसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा 4279/15375 पुखराजसिंह पुत्र हिम्मत सिंह हिस्सा 3379/102500 मोहनसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा 211783/615000 जाति राजपुरोहित सा. देह खातेदार	आसराबा दूदावतान	204	1.2300	वा.अ.	1.90	नक्शे में दर्शितनुसार

तहसीलदार कल्याणपुर को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण कर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामान्तकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में अधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा।

उरी पचा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।



(अशोक कुमार) 28/01/2026
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 28/01/2026 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।

(एस.डी.ओ.) बालोतरा 28/01/2026

मूलवाद में अंतिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:-
राजस्व वाद संख्या :-
जी.सी.एम.एस. नम्बर :-
वादी
अशोक कुमार, आर.ए.एस.
135/2022
2022/430
बनाम
प्रतिवादी

महेन्द्र राजपुरोहित पुत्र रधुनाथसिंह
जाति राजपुरोहित निवासी अराबा दूदावता
तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील कल्याणपुर

1. देवीसिंह पुत्र भंवरसिंह
2. मोहनसिंह पुत्र भंवरसिंह
3. पुखराजसिंह पुत्र हिम्मतसिंह
जाति राजपुरोहित निवासी अराबा
दूदावता तहसील पचपदरा वर्तमान
तहसील कल्याणपुर
4. गोमती पुत्री भंवरसिंह
जाति राजपुरोहित निवासी किशनासर
दक्षिण तहसील नोखा जिला बीकानेर
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
कल्याणपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा:-53,188 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर : 135/2022
निर्णय दिनांक :-28.1.2026

वादी की ओर से श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी एकतरफा, इस वाद में आज तारीख 28.1.2026 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 28.1.2026 में अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार कल्याणपुर को आदेश दिए जाते हैं, कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 28.1.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।




(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा
28/01/2026

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4.रूपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	-----
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5. आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस	-----	6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़	-----	जोड़	-----




 28/01/2016
 सहायक कलक्टर
 (एस.डी.ओ.) बालोतरा